प्र.सं. 34/02 Online No. 2002/00010 मोहन व अन्य / नौसा व अन्य

9/9/2022 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरीकेन उपस्थित। प्रकरण में प्रा.पत्र आदेश 22 नियम 03 एवं प्रा.पत्र आदेश 22 नियम 5 आ.प्री. पर बहस सुनी गयी। प्रकरण वास्ते प्रा.पत्र निर्णय हेतु दिनांक 23/9/2022 को पेश हो।

23/9/22 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। प्रा.पत्र आदेश 22 नियम 3, 09 धारा 151 CPC में प्रार्थी आलमजी गम्भीर कुमावत की मृत्यु दिनांक 30/8/2014 को होने के पश्चात प्रा.पत्र दिनांक 6/10/2016 को पेश किया गया दो वर्ष उपरान्त पेश किया गया जबकि मृत्यु दिनांक 30/8/2014 से 90 दिन के अन्दर प्रा.पत्र पेश करना था। इस प्रकार वादीगण का वादपत्र स्वतः ही अबेट हो चुका है ऐसी स्थिति में प्रा.पत्र O 22 R 04 आ.प्री. प्रतिवादी के प्रा.पत्र पर न्याय निर्णय पारित किये जाने की आवश्यकता नहीं रहती है। प्रकरण के प्रबन्ध से विस्तृत निर्णय लिखाया जाकर अपु हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय हस्ताक्षरित प्रकरण निर्णीत होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी – ओमप्रभा (आर॰ए॰एस॰)

प्रकरण सं. 114/1998 पुराना वाद, व नया न0 34/2002

1. श्री मोहन आत्मज गंभीर कुमावत, उम्र वयस्क, निवासी कारोइकलां तहसील व जिला भीलवाडा।
2. श्री प्रताप पुत्र गंभीर कुमावत, उम्र वयस्क, निवासी कारोइकलां तहसील व जिला भीलवाडा।

–वादीगण

बनाम

1. श्री नोला आत्मज गंभीर कुमावत, मृतक के बजाय
   1/1– बालु आत्मज नोला कुमावत, निवासी कारोइकलां तहसील व जिला भीलवाडा।
   1/2 – प्यारी बेवा नोला कुमावत, निवासी कारोइकलां तहसील व जिला भीलवाडा।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सा. भीलवाड़ा

–प्रतिवादीगण

वाद बाबत् विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 23–09–2022

उपस्थित :–

1. श्री अमित कोठारी अधिवक्ता वादीगण
2. श्री के0एल0 कुमावत अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 01

वादीगण की और से वादपत्र बाबत् विभाजन आराजियात एवं स्थाई निषेधाज्ञा का दिनांक 28.12.1998 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्ध दिनांक 20.11.1999 को एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिकी दिनांक 13.12.1999 को पारित की गई, प्रारम्भिक डिकी की पालना में विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होकर अन्तिम डिकी दिनांक 03.01.2001 को पारित की गई।

प्रतिवादी संख्या 01 नोला आत्मज गंभीर कुमावत की और से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 जा0दी0 का दिनांक 27.07.2002 को प्रस्तुत किया गया, प्रतिवादी संख्या 01 की मृत्यु होने पर कायम मुकाम बालु पुत्र नोला कुमावत एवं प्यारी बेवा नोला कुमावत को रेकार्ड पर लिया जाकर पक्षकारान की सुनवाई की गई। प्रतिवादी संख्या 01 नोला आत्मज गंभीर कुमावत मृतक कायम मुकाम बालू आत्मज नोला कुमावत श्रीमती प्यारी बाई बेवा नोला कुमावत सा0 कारोईकलां का प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 13 जा0दी0 दिनांक 26.07.2002 प्रस्तुत दिनांक 27.07.2002 का अवधि बाहर होने से व आधार हीन व तथ्यहीन होने से दिनांक 06.07.2009 को खारिज किया गया, इस निर्णय की अपील नोला पिता गंभीर कुमावत के कायम मुकाम बालु, प्यारी कुमावत द्वारा न्यायालय भूप्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा न्यायालय में प्रस्तुत की गई जिसकी अपील संख्या टीए/166/09 निर्णय दिनांक 09.03.2010 से अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.12.1999 एवं दिनांक 03.01. 2001 खारिज कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रति प्रेषित कर निर्देश दिये गये है कि पक्षकारान को समान एवं समुचित अवसर प्रदान कर अज सिरेनो निर्णय पारित किया जावें, इस निर्णय के अन्तर्गत प्रकरण इस न्यायालय में दिनांक 16.04.2010 को दर्ज रजिस्टर कर सुनवाई प्रारम्भ की गई दिनांक 16.04.2010 को प्रताप आत्मज गंभीर कुमावत, रतनलाल गोदपुत्र मोहन कुमावत की और से अम्बालाल कुमावत अधिवक्ता का पेश हुआ है।

श्री रतनलाल पुत्र भंवर लाल निवासी कारोई तहसील व जिला भीलवाडा की और से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 03, 09 धारा 151 सी0पी0सी0 का प्रस्तुत कर अंकित किया है कि प्रताप पिता गंभीर कुमावत की मृत्यु दिनांक 30.08.2014 को हो चुकी है जिनके निम्न वारिसान है :– भंवर पुत्र श्री प्रताप निवासी काराई, श्रीमती नन्दू पुत्री प्रताप पत्नी श्री लालु कुमावत, निवासी माताजी की बाडिया तहसील रायपुर जिला भीलवाडा, श्रीमती गंगा पुत्री श्री प्रताप पत्नी श्री हीरालाल कुमावत निवासी दरीबा तहसील व जिला भीलवाडा है, उक्त वर्णित व्यक्ति की मृतक प्रताप जी के विधिक प्रतिनिधि हो प्रताप की चल, अचल सम्पति पर काबिज हो, उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। इस प्रकार मृतक प्रताप के स्थान पर उक्त व्यक्तियों को कायम मुकाम बनाया जाने की प्रार्थना की है।

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

वादीगण ग्रामीण, अनपढ़ निर्धन व्यक्ति है, जिन्हे विधिक प्रकिया की समुचित जानकारी नहीं होने से वह यथा समय प्रताप जी की मृत्यु होने बाबत् अपने अधिवक्ता को जानकारी नहीं दे पाये वैसे भी प्रकरण में प्रस्तुत होने के उपरान्त अधिवक्ता वादीगण ने अपने पक्षकार वादीगण से यह हिदायत दे रखी थी कि आपको प्रत्येक पेशी पर न्यायालय में उपस्थित होने की जरूरत नहीं है जब भी आवश्यकता होगी आपको सूचित कर बुला लेंगें। वादीगण ने अपने अधिवक्ता द्वारा दी गई हिदायत पर सद्भाविक रूप से विश्वास कर न्यायालय में उपस्थित भी नहीं हो रहे है। इसी कारण इस सम्बन्ध में अपने अधिवक्ता को सूचित नहीं कर सके ऐसी स्थिति में यदि न्यायालय उक्त वाद को स्वतः उपश्मन होना माने तो न्यायहित में उक्त वर्णित सद्भाविक कारणों से स्वतः उपश्मन को अपास्त करते हुये प्रताप के कायम मुकाम बनाया जाना आवश्यक हो गया है तथा दिनांक 30.08.2014 से दिनांक 05.10.2016 तक का समय जानकारी के अभाव में काबिल क्षम्य (Condon) के है। इस हेतु अलग से दफा 05 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश है। मृतक प्रताप की जानकारी दिनांक 05.10.2016 होने से अन्दर अवधि प्रस्तुत है, अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त व्यक्तियों को मृतक प्रताप के स्थान पर कायम मुकाम बनाकर पक्षकार संयोजित करने का आदेश प्रदान करावे।

तथाकथित वादी रतनलाल आत्मज श्री भंवरलाल कुमावत निवासी कारोई की और से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 06.10.2016 का जवाब प्रतिवादीगण की और से प्रस्तुत कर अंकित किया है कि प्रार्थना पत्र रतनलाल पिता श्री भंवरलाल कुमावत की और से पेश किया गया है जबकि उपरोक्त अनवान के राजस्व वाद में रतनलाल आत्मज श्री भंवरलाल कुमावत निवासी कारोई तहसील व जिला भीलवाडा वादी पक्षकार नहीं है। उक्त वाद के वादी संख्या 02 प्रताप आत्मज श्री गम्भीर कुमावत की मृत्यु दिनांक 30.08.2014 को होना अंकित किया है जबकि उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 06.10.2016 को पेश किया गया है, इस प्रकार लगभग 02 वर्ष उपरान्त कायम मुकाम को रेकार्ड पर लेने हेतु अवधि बाहर प्रार्थना पत्र पेश किया है जो इसी आधार पर खारिज किये जाने योग्य है, एवं वादी का वाद स्वतः ही उपश्मन (अबेट) हो चुका है। वादी संख्या 02 प्रताप के विधिक वारीसान को विहित समयावधि में प्रकरण में संयोजित नहीं किया गया है, इसलिये वादी संख्या 02 प्रताप का वाद प्रतिवादीगण के रूबरू उपसमन हो चुका है। राजस्व वाद संख्या 114/98 संस्थित किये जाने से लेकर आज दिनांक तक विवादित आराजियात को लेकर प्रकरण चले आ रहे है एवं तथाकथित वादी रतनलाल कुमावत को सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी होते हुये भी नियमानुसार प्रचलित अविध में वादी संख्या 02 के कायम मुकाम को रेकार्ड पर लेने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है, इसलिये वादी संख्या 02 का वाद स्वतः ही उपशमन हो चुका है।

तथाकथित वादी रतनलाल द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष दिनांक 06.10.2016 को पेश किया गया था किन्तु इसके पश्चात् रतनलाल द्वारा भू प्रबन्ध अधिकारी भीलवाडा के समक्ष अपील संख्या 129/2017 को पेश की गई थी उक्त अपील में रतनलाल कुमावत द्वारा वादी संख्या 02 प्रताप कुमावत पिता गम्भीर कुमावत को जीवित बताकर पक्षकार कायम किया था इस प्रकार रतनलाल कुमावत वादी संख्या 02 को दिनांक 30.08.2014 को मृतक बताकर दिनांक 06.10.2016 को कायम मुकाम रेकार्ड पर लेने के लिये उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर रहा है। वही दिनांक 24.04.2017 को उसके द्वारा प्रस्तुत अपील में प्रताप पिता गम्भीर को जीवित मानकर उसको पक्षकार कायम किया गया है। राजस्व वाद संख्या 114/98 में पारित निर्णय के उपरान्त प्रतिवादी द्वारा भूप्रबन्ध अधिकारी भीलवाडा के समक्ष अपील पेश की जिसमें दिनांक 09.03.2010 को आदेश पारित कर प्रकरण को रिमाण्ड किया गया था और वर्ष 2010 से लगातार प्रकरण न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, तथाकथित वादी रतनलाल पिता भंवरलाल कुमावत राजस्व वाद संख्या 34/2002 (114/98) में कभी पक्षकार नहीं बना था इसलिये रतन लाल कुमावत द्वारा पेश प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है तथा वादी संख्या 02 का वाद अबेट हो चुका है।

वादी संख्या 02 प्रताप कुमावत पिता गम्भीर कुमावत के विधिक वारिसों को जानबुझकर 02 वर्ष तक रेकार्ड पर नहीं लिया गया है, जबकि कानूनी कार्यवाही चली आ रही है तथा इसी वाद से सम्बन्धित आरजी का मामला अपर जिला न्यायाधीश संख्या 02 भीलवाडा के समक्ष चला जिसके प्रकरण संख्या 09/2011 होकर दिनांक 08.03.2018 को उसका निर्णय हुआ है तथा रतन लाल कुमावत उसमे पक्षकार था तथा उसका निर्णय हुआ है तथा रतनलाल कुमावत उसमें पक्षकार था तथा अपने अधिवक्ता एक ही है इस प्रकार दिनांक 06.10.2016 को वादी संख्या 02 प्रताप कुमावत की मृत्यु हो जाने की जानकारी होने के तथ्य गलत तौर पर अंकित किये है, तथा वादी संख्या 02 प्रताप का वाद प्रतिवादी के विरूद्ध अबैट हो चुका है।

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

हस्तगत मामले में आदेश 22 नियम 09 सि0प्र0सं0 एवं परिसीमा अधिनियम 1963 के अनुच्छेद 121 का दृष्टिपात करें तो पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से यह स्पष्ट प्रकट होता है कि मामले में मृतक वादी के प्रतिनिधी होने का दावा करने वाले व्यक्ति अर्थात् विधिक वारिसान द्वारा वादी के मृत्यु होने की दिनांक के पश्चात् 90 दिवस के भीतर उत्तरजीवी वादी को वाद लाने का अधिकार बचा रहने की दशा में इस निमित्त आवेदन न्यायालय के समक्ष मृत वादी के विधिक प्रतिनिधी को पक्षकार बनवा और वाद में अग्रसर होने के सम्बन्ध में किसी प्रकार का मांफिक कानून परिसिमित समय के भीतर पेश नहीं किया गया। साथ ही साथ वादी की मृत्यु होने की दिनांक से 90 दिन की अवधि के पश्चात् वाद आदेश 2 नियम 09 के अधीन स्वत: ही उपशमन हो जाने की दशा में उपशमन को खारिज/अपास्त करने वाले आदेश के लिये किसी प्रकार का आवेदन आदेश 22 नियम 09 (2) के तहत पेश नहीं किया गया ना ही पर्याप्त हेतुक दर्शित किये गये ताकि उपशमन/खारिज को अपास्त किये जा सके, जो आवेदन अनुच्छेद 121 के तहत उपशमन की तारीख से उपशमन हो अपास्त कराने के लिये 60 दिन के भीतर नहीं किया गया, साथ ही 60 दिन के पश्चात् उपशमन को अपास्त कराये जाने के सम्बन्ध में मृतक वादी के विधिक वारिसान उत्तरजीवी वादी के द्वारा विलम्ब क्षमा किये जाने का भी कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया, इस प्रकार उल्लेखिनिय है कि मामले में वाद लाने का अधिकार बचा रहने की दशा में मृतक वादी के विधिक वारिसान अर्थात् उत्तरजीवी वादीयों के द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष मृत वादी के विधिक प्रतिनिधी को पक्षकार बनावा और वाद में अग्रसर होने के लिये उनके द्वारा किसी प्रकार का आवेदन अभिलेख पर नहीं है, न ही उपशमन को अपास्त कराये जाने के सम्बन्ध मे आवेदन पेश है, न ही विलम्ब क्षम्य का प्रार्थना पत्र पेश है, ऐसे में प्रस्तुतशुदा प्रार्थना पत्र विधिक दोष से ग्रसित होकर विधि वर्जित होने के कारण दुर्नियोजित ढंग से पेश किया गया है जो सव्यय खारिज किये जाने योग्य है। प्रस्तुतशुदा प्रार्थनापत्र मिथ्या, तुच्छ प्रकृति का होकर प्रस्तुत करने वाले आपराधिक एवं अनाधिकृत आवेदक को धारा 340 एवं 195 दण्ड संहिता आकर्षित करती है, ऐसे में प्रार्थना पत्र माफिक कानून पोषणीय ना होकर सव्यय खारीज किये जाने योग्य है एवं आवेदन के विरूद्ध धारा 340 एवं 195 द0प्र0सं0 के तहत पृथक से न्यायप्रशासन पर प्रतिकुल प्रभाव डाले जाने वाली असंवैधानिक गतिविधिया कर माननीय न्यायालय के समक्ष मिथ्या एवं झूठे कथनों की आड में अवांछित लाभ एवं प्रोत्साहन प्राप्त करने की गरज से झूठा आवेदन मय शपथ पत्र पेश किया है। आवेदक का प्रार्थना पत्र कानून पोषणीय नहीं होकर खारिज किये जाने का आदेश प्रदान कराये जावे एवं आवेदक के विरूद्ध धारा 340 एवं 195 द0प्र0सं0 के तहत पृथक से कानूनी कार्यवाही की जाने का आदेश पारित कराया जावें।

प्रतिवादीगण की और से दिनांक 17.02.2020 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अंकित किया है कि वादीगण की और से मृतको के कायम मुकाम बनाने के लिये प्रार्थना पत्र दिनांक 06.02.2017 को पेश किया जो तथाकथित वादी रतनलाल कुमावत द्वारा पेश किया गया, रतनलाल पिता भंवरलाल कुमावत उक्त उनवान प्रकरण में वादी पक्षकार कायम नहीं हुआ है एवं न ही रतनलाल को पक्षकार कायम करने के लिये कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया है। रतनलाल कुमावत द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र मेन्टेनेबल नहीं होने से खारीज करते हुये वादीगण का वादपत्र अबेट हो जाने से खारीज कराया जावे इस प्रार्थना पत्र का वादीगण की और से जवाब दिनांक 26.02.2020 को प्रस्तुत किया है।

तथाकथित वादी रतनलाल पुत्र भंवर लाल कुमावत निवासी करोई के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 03, 09 धारा 151 सी0पी0सी0 दिनांक 06.10.2016 एवं इस प्रार्थना पत्र के जवाब प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत दिनांक 25.03.2019 का अध्ययन किया गया एवं प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस पर मनन किया गया। वादीगण की और से वादपत्र बाबत् विभाजन आराजियात एवं स्थाई निषेधाज्ञा का दिनांक 28.12.1998 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्ध दिनांक 20.11.1999 को एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 13.12.1999 को पारित की गई, प्रारम्भिक डिक्री की पालना में विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होकर अन्तिम डिक्री दिनांक 03.01.2001 को पारित की गई। प्रतिवादी संख्या 01 नोला आत्मज गंभीर कुमावत की और से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 जा0दी0 का दिनांक 27.07.2002 को प्रस्तुत किया गया, प्रतिवादी संख्या 01 की मृत्यु होने पर कायम मुकाम बालु पुत्र नोला कुमावत एवं प्यारी बेवा नोला कुमावत को रेकार्ड पर लिया जाकर पक्षकारान की सुनवाई की गई। प्रतिवादी संख्या 01 नोला आत्मज गंभीर कुमावत मृतक कायम मुकाम बालू आत्मज नोला कुमावत श्रीमती प्यारी बाई बेवा नोला कुमावत सा0 कारोईकलां का प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 13 जा0दी0 दिनांक 26.07.2002 प्रस्तुत दिनांक 27.07.2002 का अवधि बाहर होने से व आधार हीन व तथ्यहीन होने से दिनांक 06.07.2009 को खारिज किया गया।

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

इस निर्णय की अपील गोला पिता गंभीर कुमावत के कायम मुकाम बालू प्यारी कुमावत द्वारा न्यायालय भूप्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा न्यायालय में प्रस्तुत की गई जिसकी अपील संख्या टीए/166/09 निर्णय दिनांक 09.03.2010 से अपील अधीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13.12.1999 एवं दिनांक 03.01.2001 खारिज कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रति प्रेषित कर निर्देश दिये गये है कि पक्षकारान को समान एवं समुचित अवसर प्रदान कर अब सिरेसी निर्णय पारित किया जावें, तथाकथित वादी रतनलाल आत्मज श्री भंवरलाल कुमावत निवासी काराई की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 06.10.2016 का जवाब प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत कर अंकित किया है कि प्रार्थना पत्र रतनलाल पिता श्री भंवरलाल कुमावत की ओर से पेश किया गया है जबकि उपरोक्त अनवान के राजस्व वाद में रतनलाल आत्मज श्री भंवरलाल कुमावत निवासी काराई तहसील व जिला भीलवाडा वादी पक्षकार नहीं है। उक्त वाद के वादी संख्या 02 प्रताप आत्मज श्री गम्भीर कुमावत की मृत्यु दिनांक 30.08.2014 को होना अंकित किया है जबकि उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 06.10.2016 को पेश किया गया है, इस प्रकार लगभग 02 वर्ष उपरान्त कायम मुकाम को रेकार्ड पर लेने हेतु अवधि बाहर प्रार्थना पत्र पेश किया है जो इसी आधार पर खारिज किये जाने योग्य है, एवं वादी का वाद स्वतः ही उपशमन (अबेट) हो चुका है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 03, 09 जा0दी0 धारा 151 सी0पी0सी0 स्वीकार योग्य नहीं ठहरता है।

आदेश

श्री रतनलाल पुत्र भंवरलाल कुमावत निवासी काराईकलां का प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 03, 09 धारा 151 सी0पी0सी में प्रताप आत्मज गंभीर कुमावत की मृत्यु दिनांक 30.08.2014 को होने के पश्चात् प्रार्थना पत्र दिनांक 06.10.2016 को पेश किया जो 02 वर्ष उपरान्त पेश किया जबकि मृत्यु दिनांक 30.08.2014 से 90 दिन के अन्दर प्रार्थना पत्र पेश करना था एवं मोहन आत्मज गंभीर कुमावत की मृत्यु दिनांक 05.08.2004 को होकर इस वादी के कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं हुआ। इस प्रकार वादीगण का वादपत्र स्वतः ही उपशमन (अबेट) हो चुका है ऐसी स्थिति में प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 04 के प्रार्थना पत्र पर न्याय निर्णय पारित किया जाने की आवश्यकता नहीं रहती है। डिक्री जारी की जावें। चूंकि वादीगण के वादपत्र का उपशमन (अबेट) हो जाने से इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 114/98 निर्णय दिनांक 03.01.2001 अन्तिम डिक्री के सम्बन्ध में न्यायालय भूप्रबन्ध एवं राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा के निर्णय दिनांक 09.03.2010 के उक्त अंतिम डिक्री को अपास्त कर दिये जाने से इस डिक्री से पूर्व की स्थिति राजस्व रेकार्ड में बहाल की जाने का आदेश तहसीलदार भीलवाडा को प्रदान किये जाते है। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार भीलवाडा को निर्णय की प्रति प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 23.09.2022 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा